

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित=

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]	नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30—अप्रैल 5, 2019 (चैत्र 9, 1940)=
No. 13]	NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30—APRIL 5, 2019 (CHAITRA 9, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)=

भाग III—खण्ड 4=

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
(बैंकिंग विनियमन विभाग)

मुंबई—400001, दिनांक 1 मार्च 2019

सं. बैंवि. पीएसबीडी. सं. 7234/16.01.146/2018-19—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (ग) के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे, जो 12 जनवरी 2019 से प्रभावी होंगे:

“आईडीएफसी बैंक लिमिटेड” शब्दों के स्थान पर, “आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

लिलि वडेरा
कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA
(DEPARTMENT OF BANKING REGULATION)

Mumbai-400001, the 1st March 2019

No. DBR.PSBD. No. 7234/16.01.146/2018-19—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made with effect from January 12, 2019 in the Second Schedule to the said Act namely:—

For the words “IDFC Bank Limited”, the words “IDFC FIRST Bank Limited” shall be substituted.

LILY VADREA
Executive Director